न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
प्रकरण संख्या 53/2020 वाद पत्र

अनवान प्रकरण

1–बंशी पिता हजारी गाडरी निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा ––– वादी

बनाम

1–नारायण पिता हजारी गाडरी निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
2–गोपाल पिता हजारी गाडरी निवासी मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
4–उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

–––प्रतिवादीगण

(वाद बाबत– घोषणा ,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा)

उपस्थितः– वकील वादी–श्री राकेश जैन एवं सुरेन्द्र प्रताप सुवालका

–––

निर्णय

दिनांक 19.04.2022

1– वादी के द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेजा तहसील मांडल में अन्य आराजीयात के साथ–साथ आराजी नम्बर 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता श्री हजारी गाडरी के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य में स्थित थी।

2–यह कि हजारीजी का देहान्त हो चुका है। हमारे परिवार का सजरा इस प्रकार है कि हजारी जी के वादी बंशी, प्रतिवादी सं0 1 नारायण, प्रतिवादी सं0 2 गोपाल पुत्र हुए तथा केशी, देउ, मांगी, नारायणी पुत्रियां तथा रामी पत्नि है। हजारी के फौत होने पर सजरे में अंकितानुसार सभी हजारीजी के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से विरासत से राजस्व रिकॉर्ड में सभी का नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार वादवर्णित आराजीयात में सजरे में अंकितानुसार प्रत्येक का 1/8 हक हिस्सा निहीत है जिससे आ0नं0 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में से प्रत्येक के 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि रही। इस प्रकार मांगी पुत्री हजारी के हक हिस्से में 1/8 हिस्से अनुसार 1बीघा 8 बिस्वा भूमि रही। मांगी का देहान्त हो गया। मांगी के विधिक वारिस वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 है और मांगी का हक हिस्सा इन सबमें बराबर हक से दर्ज होना चाहिए परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलाभगती कर मांगी के हक हिस्से की भूमि को अपने नाम जरिये हक तर्कनामा से दर्ज करवा लिया।

3–यह कि मांगी पुत्री हजारी के द्वारा अपने हिस्से का कभी हक तर्क नहीं किया इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने नाम पर गलत दर्ज करा लिया जिसे कमी किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक को 9 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराई जावे तथा उक्त 9 बिस्वा भूमि जो वादी के हक हिस्से व कब्जे की है इस पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलनदाजी नहीं करे इसके लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

4–वादपत्र दिनांक 09.12.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील के हाजिर नहीं होने से दिनांक 25.03.2021 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं0 4 तहसीलदार व 5 उप पंजीयक तहसील मांडल भूमिधारी होने से फोर्मल पक्षकार है।

5–वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा होने से वाद का किसी के द्वारा खण्डन नहीं किए जाने से वादबिन्दु कायम नहीं किए जाकर एक तरफा शहादत वादी में स्वयं वादी बंशीलाल व गवाह जमनालाल पिता माधव गाडरी निवासी मांडल के मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाकर पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदर्श करवाया गया।

6–वादीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

7–हमने वकील वादीगण की बहस सुनी तथा प्रस्तुत वाद एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम मांडल की आराजी नम्बर 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा अन्य आराजीयात कीता 7 कुल रकबा 36 बीघा 5 बिस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 प्रदर्श–1 में हजारी वल्द जोधा गाडरी सा0 मांडल खातेदारी से दर्ज थी। हजारी पिता जोधा गाडरी के फौत हो जाने से विरासत के ना0सं0 792 दिनांक 11.06.90 से खाता हजारी के बजाय बंशी, नाराण, गोपाल पिता हजारी, केशी, देउ, मांगी दुख्तर हजारी नाराणी दुख्तर हजारी नाबा0 बवि0 खुद माता रामी व रामी बेवा हजारी गाडरी के नाम दर्ज हुआ। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 50 प्रदर्श–2 में खाता इसी अनुसार दर्ज होकर आ0नं0 520 में से बंशी ने अपना हिस्सा रामेश्वर पिता भंवरलाल हेडा निवासी भीलवाड़ा को विक्रय किए जाने से ना0सं0 1120 दिनांक 25.03.94 से तथा केशी के द्वारा अपना हिस्सा रामेश्वर पिता भंवरलाल हेडा निवासी भीलवाड़ा को विक्रय किए जाने से ना0सं0 1130 दिनांक 25.03.94 से खाते में नाम दर्ज हुआ। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 54 प्रदर्श–3 में आ0नं0 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा रामेश्वर पिता भंवरलाल हेडा, नारायण, गोपाल पिता हजारी रामेश्वर पिता भंवरलाल हेडा, मांगी दुख्तर हजारी नारायणी दुख्तर हजारी नाबा0 बवि0 माता रामी,रामी बेवा हजारी गाडरी सा0 मांडल खातेदार दर्ज है। रामेश्वर पिता भंवरलाल हेडा ने अपने हिस्से की भूमि में से 8 बिस्वा भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 58 प्रदर्श–4 में अंकन है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059 प्रदर्श–5 में 8 बिस्वा भूमि गेमु0 वाणिज्यिक व 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि किस्म बंजड़ रामेश्वर पिता भंवरलाल हेडा, नारायण, गोपाल पिता हजारी रामेश्वर पिता भंवरलाल हेडा, मांगी दुख्तर हजारी नारायणी दुख्तर हजारी नाबा0 बवि0 माता रामी,रामी बेवा हजारी गाडरी सा0 मांडल खातेदार दर्ज है। दिनांक 05.04.2008 को पंजीबद्ध हकत्याग पत्र से देउ, केशी, नारायणी पिता हजारी के द्वारा बंशीलाल, नारायण, गोपाल पिता हजारी के पक्ष में अन्य कृषि आराजीयात के साथ खाता संख्या 716 मे दर्ज आराजी कीता 01 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा व चाह में अपने हक हिस्से का परित्याग किया जिसके आधार पर नामा0सं0 2183 दिनांक 16.04.2008 से देउ, मांगी, नारायणी पुत्री हजारी के बजाय खाता नारायण, गोपाल पिता हजारी के नाम दर्ज कर दिया जो प्रदर्श–7 है। इसी अनुसार नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 में इन्द्राज किया जो प्रदर्श–6 है। इसके पश्चात आ0नं0 520 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श–8 में नारायण, गोपाल पिता हजारी 5/6 बंशी, नारायण, गोपाल पिता हजारी 1/6 गाडरी सा0 मांडल के नाम दर्ज है। रामी पत्नि हजारी के फौत होने पर रामी का हिस्सा विरासत के नामा0सं0 2327 दिनांक 21.06.2011 से नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 प्रदर्श–9 में बंशी, नारायण, गोपाल पिता हजारी के नामं दर्ज हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

8—उक्त दस्तावेजों एवं हकत्याग पत्र दिनांक 05.04.2008 के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जिस दिन हकत्याग पत्र पंजीयन कराया गया उसमें ही मांगी व रामी को फौत बताया गया तथा मांगी द्वारा कोई हक त्याग नहीं किया फिर भी नामा0 संख्या 2183 दिनांक 16.04.2008 से मांगी का हिस्सा प्रतिवादी नारायण व गोपाल के पक्ष में दर्ज कर दिया जबकि हकत्याग पत्र में ही बंशी, नारायण व गोपाल के नाम दर्ज है। सर्वप्रथम तो यह है कि मागी हकत्याग पत्र जिस दिन निष्पादित किया उस दिन मांगी फौत हो चुकी थी फिर भी नामान्तरकरण संख्या 2183 में विधि विरूद्ध मांगी के हिस्से को हक तर्क कर दिया साथ ही हक तर्क बंशी, नारायण, गोपाल पिता हजारी के पक्ष में किया परन्तु बंशी का नाम छोडते हुए नारायण, गोपाल दोनो के नाम पर नामान्तरकरण गलत दर्ज कर दिया जो दुरूस्ती योग्य है। वर्तमान नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 में खाता गोपाल पिता हजारी 5/12, नारायण पिता हजारी 5/12 दर्ज है इसमें से मांगी के 1/6 हिस्सा अर्थात गोपाल के हिस्से में से 1/36 व नारायण के हिस्से में से 1/36 हिस्सा कमी करते हुए कुल 1/18 हिस्सा वादी पाने का अधिकारी होने से उक्त हिस्सा वादी के नाम दर्ज किए जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना उचित है। अतएव—

9—उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद इस आशय का डिक्री किया जाता है कि ग्राम मेजा तहसील मांडल की आराजी नम्बर 520 रकबा 2.0614 हैक्टर मे प्रतिवादी सं0 1 नारायण व प्रतिवादी सं0 2 गोपाल प्रत्येक के 5/12 हिस्से में से 1/36 हिस्सा कमी करते हुए कुल 1/18 हिस्से का वादी बंशी पिता हजारी गाडरी सा0 मांडल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा वादी के 1/18 हिस्से व कब्जे पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 किसी प्रकार की दखलनदाजी न स्वयं करें न अन्य से कराए इसके लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को तैयार कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल भीलवाड़ा